



10/-  
34000  
219 41

197

रकम रु 41  
जिसका  
11/11

न्यायालय- मान्नीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प- सागर म०प्र०  
R-3846-11/14

रामकृपाल तनय हल्कू यादव, उम्र करीब 55 साल

निवासी- ग्राम बंधी कुर्द, सर्किल ईशानगर, तह० व जिला छतरपुर म०प्र०

..... आवेदक.

// बनाम //

1. मनीराम तनय रमला कुम्हार,

निवासी- बौड़ा, सर्किल ईशानगर, तह० व जिला छतरपुर म०प्र०

2. मध्य प्रदेश शासन

..... अनावेदकगण.

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म० प्र० भू- राजस्व संहिता 1959.

यह निगरानी, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर  
सभाग, सागर के निगरानी प्र० क्र०-82अ/19 वर्ष 2003-04 में पारित आदेश  
दिनांक-23.12.2013 के विरुद्ध निम्न लिखित तथ्यों व आधारों पर मान्नीय  
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, म० प्र० शासन एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय छतरपुर के  
निर्देशानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-4 क्रमांक-3 के अनुसार मौजा ग्राम  
दौचन पुरवा स्थित भूमियों का आवंटन श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय  
प्रभारी क्षेत्र ईशानगर द्वारा दिनांक-26.8.98 को अनावेदक मनीराम कुम्हार  
को भूमि खसरा नं. 229 रकवा 0.324 एवं खसरा नं. 201 रकवा 0.210 हे०  
भूमि का वंटन कर दिया गया जिसमें से भूमि खसरा नं.229 रकवा 0.324 हे०  
पर आवेदक का पूर्वजों के समय से कृषि कार्य कर फसल बोकर मौके पर कब्जा  
आज तक चला आ रहा है, जिसमें आवेदकगण की उक्त कृषि भूमि के बीचोंबीच  
में 0.324 आरे का टुकड़ा है। म०प्र० शासन राजस्व पुस्तकपरिपत्र खण्ड-4  
क्रमांक-3 में स्पष्ट प्रावधान दिया है कि, भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के  
बीच में कोई शासकीय टुकड़ा हो उसे कास्तकार को जो कृषि कार्य कर रहा  
है उसे दिया जावेगा।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने व वंटन अधिकारी ने इस बात

... 2.

B.O.R.  
10 OCT 2014

रजिस्ट्रार (म. प्र.)  
सागर

148  
20-10-14

रामकृपाल  
30/10-14

17-11-14  
रामकृपाल

रामकृपाल

